

आवंटन/नीलामी
तिथि 26.06.2013
समय प्रातः 11:00 बजे

परिषद के आवासीय जोन के अधीन

सिकन्दरा योजना आगरा, कमलानगर,
ट्रान्स यमुना आगरा, शिकोहाबाद/हाथरस/
मैनपुरी/खुर्जा एवं कासगंज की
व्यावसायिक सम्पत्तियों की

आवंटन/नीलामी



**स्थल: एफ-42, सिन्धु भवन,
कमला नगर, आगरा**

“जहाँ है जैसी है” के आधार पर नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियाँ

सेक्टर संख्या/ब्लॉक	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में, प्रति वर्ग मी.		
एफ	दुकानें	कमलानगर/ट्रान्स यमुना प्रथम, आगरा				
		(02 नग) एफ-958/6, 958/7	8.16 वर्ग मी.	रु.9.90 लाख प्र.नग		
		(01 नग) एफ-958/1	7.92 वर्ग मी.	रु. 9.42 लाख		
		(01 नग) एफ-958/8	8.55 वर्ग मी.	रु. 10.36 लाख		
4 आर	व्याव0 भूखण्ड	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		(01 नग) ए-काम (कार्नर)	4486.60 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
		4आर/कॉम-101(कार्नर), 4आर/कॉम-106 (कार्नर) (अनु.जा. हेतु)	384.23 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
		4आर/कॉम-108 (अनु.जा. हेतु)	299.40 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
8	व्याव0 भूखण्ड	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		4आर/कॉम-103, 4आर/कॉम-109 (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	299.40 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
		4आर/कॉम-107 (कार्नर)	379.24 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
		4आर/कॉम-102 (वरिष्ठ नागरिक सामान्य), 4आर/कॉम-104, 4आर/कॉम-105, 4आर/कॉम-110, 4आर/कॉम-111(अनारक्षित)	299.40 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
16ए	व्याव0 भूखण्ड	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		एस-3/1 (अन्य पि.व. हेतु)	561.12 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
		एस-3/2 (कार्नर)	480.06 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
		3/2 (कार्नर)	60.08 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
12डी	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		3/3(कार्नर)(अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	105.53 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
		16ए/काम-1 (कार्नर)	1477.30 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
		12डी-एस-1(कार्नर)(ओबीसी)	368.64 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
16ए	व्याव0 भूखण्ड	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		12डी/एस-2(सामान्य)	243.80 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
		12डी/एस-3(एस.सी.)	213.69 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
		12डी/एस-4 (कार्नर)	186.72 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.		
3	सामुदायिक केन्द्र	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		16ए/एच-सी-1(कार्नर)	1037.40 वर्ग मी.	रु. 24024/- प्र.व.मी.		
		सीसी-3/1(कार्नर) (लीज पर)	1266.84 वर्ग मी.	रु. 15730/- प्र.व.मी.		
		1/16	13.083 वर्ग मी.	रु. 9.58 लाख		
16	दुकानें	सिकन्दरा योजना, आगरा				
		2/16, 3/16	12.60 वर्ग मी.	रु. 8.43 लाख		
		4/16, 5/16, 6/16	8.07 वर्ग मी.	रु. 5.91 लाख		
		7/16	7.62 वर्ग मी.	रु. 5.58 लाख		
		8/16	9.69 वर्ग मी.	रु. 7.10 लाख		
		9/16	8.88 वर्ग मी.	रु. 6.50 लाख		
		10/16	7.98 वर्ग मी.	रु. 5.81 लाख		
		11/16	7.04 वर्ग मी.	रु. 5.16 लाख		
		12/16	6.32 वर्ग मी.	रु. 4.63 लाख		
		1	शॉपिंग प्लेटफार्म	सिकन्दरा योजना, आगरा		
				1/एसए-1(कार्नर)	15.37 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
				1/एसए-2, 1/एसए-3	14.75 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.
1/एसए-4, 1/एसए-5	13.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-6, 1/एसए-7	12.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-8, 1/एसए-9	11.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-10, 1/एसए-11	10.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-12, 1/एसए-13	9.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-14, 1/एसए-15	8.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-16, 1/एसए-17	7.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
1/एसए-18, 1/एसए-19	6.75 वर्ग मी.			रु. 29120/- प्र.व.मी.		
2	कम्प्यूनिटी सेन्टर			सिकन्दरा योजना, आगरा		
		1/एसए-20	5.75 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.		
		शिकोहाबाद				
		2बी/सीसी-1	2460.00 वर्ग मी.	रु. 7260/- प्र.व.मी.		
		हाथरस				
		2बी/एचसी-1	3292.50 वर्ग मी.	रु. 11088/- प्र.व.मी.		
		3	व्याव0 भूखण्ड	हाथरस		
				3/1, 3/4 (कार्नर)	240.62 वर्ग मी.	रु. 13552/- प्र.व.मी.
				3/2	192.50 वर्ग मी.	रु. 12320/- प्र.व.मी.
				3/3 (कार्नर)	246.38 वर्ग मी.	रु. 13552/- प्र.व.मी.
				3/5	197.75 वर्ग मी.	रु. 12320/- प्र.व.मी.
		4ए	संस्थागत भूखण्ड	कासगंज		
3/6 (कार्नर)	237.74 वर्ग मी.			रु. 13552/- प्र.व.मी.		
कासगंज						
(02नग) 4ए/बैंक-1.4ए/पो.आ.	800.00 वर्ग मी.			रु. 9240/- प्र.व.मी.		
(01 नग) 4ए/सी-1 (लीज पर)	2778.13 वर्ग मी.			रु. 6655/- प्र.व.मी.		
4	नर्सिंग होम भू0	मैनपुरी				
		3/2	789.75 वर्ग मी.	रु. 9408/- प्र.व.मी.		
6	संस्थागत भूखण्ड	मैनपुरी				
		3/3	772.69 वर्ग मी.	रु. 9408/- प्र.व.मी.		
6	संस्थागत भूखण्ड	कासगंज				
		6/आई.एन.एस.-5	1580.00 वर्ग मी.	रु. 9408/- प्र.व.मी.		

“जहाँ है जैसी है” के आधार पर आवंटन/लाटरी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में, प्रति वर्ग मी.
1 व 2	दु. आय वर्ग	हाथरस		
		(02 नग) (18/40) , 2/133 एवं 1/374	41.32 वर्ग मी.	रु. 3.08 लाख
2 सी	आवासीय भूखण्ड	शिकोहाबाद		
		2सी/327, 2सी/492 (अनु.जा.विधायक/सांसद/एफ.एफ. हेतु), 2सी/458 (अनु.जा. 50 वर्ष से अधिक आयु सरकारी कर्मचारी हेतु), 2सी/460 (अनु.जा. परिषद कर्मचारी हेतु), 2सी/480 (अनु.जा. वरि. नागरिक हेतु)	24.37 वर्ग मी.	रु. 6,720/- प्र.व.मी.
4	मिनी म.आ.वर्ग	शिकोहाबाद		
		2सी/416, 2सी/418, 2सी/493(ओ.बी.सी. विधायक/सांसद/एफ.एफ. हेतु), 2सी/425 (ओ.बी.सी. परिषद कर्मचारी हेतु) 2सी/463, 2सी/474 (ओ.बी.सी. 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी कर्मचारी हेतु)	24.37 वर्ग मी.	रु. 6,720/- प्र.व.मी.
4	मिनी म.आ.वर्ग	खुर्जा		
		2सी/312, 2सी/451, 2सी/469 (सामान्य 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी कर्मचारी हेतु)	24.37 वर्ग मी.	रु. 6,720/- प्र.व.मी.
4	मिनी म.आ.वर्ग	खुर्जा		
		(02 नग) 4/20 एवं 4/26	76.80 वर्ग मी.	रु. 10.55 लाख
“जहाँ है जैसी है” के आधार पर नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ				
1	आवासीय भूखण्ड	कासगंज		
		(01 नग) 1/193	105.24 वर्ग मी.	रु. 6,160/- प्र.व.मी.
		(01 नग) 2/350	127.50 वर्ग मी.	रु. 6,160/- प्र.व.मी.
2	आवासीय भूखण्ड	कासगंज		
		(01 नग) 3/267	181.35 वर्ग मी.	रु. 6,160/- प्र.व.मी.
		खुर्जा योजना		
6	म. आय वर्ग	खुर्जा योजना		
		(01 नग) 6/116	124.19 वर्ग मी.	रु. 26.55 लाख
4	मिनी म. आय वर्ग	खुर्जा योजना		
		(01 नग) 4/17	99.14 वर्ग मी.	रु. 12.95 लाख

नोट:- (1) सिकन्दरा योजना, आगरा सेक्टर-3 स्थित सामुदायिक भूखण्ड सं.-सी.सी.-3/1 में 12.00 मी. चौड़ी रोड के सामने 6.00 मी. चौड़ी भूमि (जिसका क्षेत्रफल लगभग 264.60 वर्ग मी.) पार्किंग स्थल हेतु छोड़ना आवश्यक है तथा यह भूमि कुल क्षेत्रफल में सम्मिलित है। (2) कन्वेनियन्ट भूखण्ड सं.-12डी/एस-1, एस-2, एस-3 व एस-4 में पार्किंग हेतु ले-आउट में दर्शाई गई भूमि का मूल्य भी आवेदक को स्वीकृत उच्चतम बोली की दर से भुगतान करना होगा। (3) नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक 12:00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 12:30 बजे से नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें।

आवेदन पत्र का प्रारूप : (1) योजना/शहर का नाम..... (2) भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल..... (3) आवेदक का नाम..... (4) पिता/पति का नाम..... (5) पत्र व्यवहार का पता,स्थायी पता..... (6) दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ईमेल आई. डी..... (7) आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित पत्र संलग्न करें)..... (8) संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक..... (9) निर्गतकर्ता बैंक का नाम, धनराशि..... (10) भुगतान का विकल्प आवेदक के हस्ताक्षर... तिथि... स्थान.. आवेदन पत्र के लिफाफे के बाहर योजना का नाम एवं सम्पत्ति संख्या स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

सील बिड का प्रारूप (1) योजना/शहर का नाम (2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल (3) आरक्षित मूल्य (4) ऑफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) (5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु... (6) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक एवं बैंक का नाम (7) आवेदक का नाम (8) पिता/पति का नाम/संस्थान/फर्म/कंपनी का नाम (9) आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) (10) पत्र व्यवहार का पता (11) दूरभाष/मोबाईल नम्बर, ईमेल आई. डी., दिनांक, स्थल

घोषणा:- (आवेदन एवं सील बिड दोनों के साथ नोटरी द्वारा सत्यापन सहित आवश्यक) (1) में सम्पत्ति की स्थलीय स्थिति से पूर्णरूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति “जहाँ है जैसी है” के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ (2) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम... सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की समस्त श्रोतों से आय रु..... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। दिनांक ... स्थान ... आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य नियम व शर्तें (1) आवेदन/सील बिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सील बिड/ऑफर अंकित करते हुए रु. 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्यदिवस) तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। (3) आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। (क) कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त, ऑफिस कामप्लेक्स, कमलानगर, आगरा (ख) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, शॉपिंग कम ऑफिस कामप्लेक्स, सेक्टर-9, सिकन्दरा योजना, आगरा (ग) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सुहागनगर योजना, शिकोहाबाद/फिरोजाबाद (घ) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, सोरो रोड, कासगंज (ङ) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, एमआईजी-3/69, आवास विकास कालोनी, हाथरस (च) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, योजना संख्या-1, मैनपुरी (छ) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, एस.एस.एस.-89-90, डीएम कालोनी, बुलंदशहर (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धित विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लॉटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्तियों के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो “उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद” के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2013 तथा सील बिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व को सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए। अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में “जहाँ है जैसी है” के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति की लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाईट : <http://www.upavp.com> पर/ **Public Notices** के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। (11) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। **आवास आयुक्त**

डायल कर 0522-2236803, 1800-180-5333 (टोल फ्री)
परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज कर सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
website:<http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sanchar.net.in
सेवोत्तम अनुवर्ती संस्था